विक्रय विलेख

मालियत विक्रय पत्र रू0 24,01,875/-

बाजारी मूल्य जिस पर स्टाम्प दिया है रू0 24,02,000/-

अनुबन्ध के समय दी गयी स्टाम्प डयूटी- 55,000/-

स्टाम्प शीट की संख्या 08.

स्टाम्प शुल्क रू0 65,100/- आवास विकास शुल्क सहित कुल स्टाम्प का योग रू0 65,100/-

मैं/हम कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रान्सपोर्ट नगर सहारनपुर रोड़ देहरादून ID No .63

गोदाम संख्या-B-07 ट्रान्सपोर्ट नगर, फेज-द्वित्तीय योजना सेवला खुर्द देहरादून।

के मालिक व काबिज है और हमारी सम्पति हर प्रकार के भार व रहन से मुक्त है, उसको बदस्त और श्री हिमांशु कपूर पुत्र श्री मदन मोहन कपूर, निवासी 302 दून रॉयल अर्पाटमेन्ट, सेवलाकला, शिमला, बाईपास, देहरादून।को विक्रय कर दिया है......लेखानुसार.....को निम्नप्रकार... लेखानुसार.........वसूल पाया. लेखानुसार. विवरण सहित.....लेखानुसार.......बाकें........लेखानुसार.....

पेनकार्ड नम्बर-ADLPK2540H

सम्पति अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

भारत

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTARAKHAND

A 483341

(2)

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

विकय विलेख

यह विकय विलेख आज दिनांक 6 माह अगस्त दो हजार तेरह को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 रूपान्तरण उत्तराखण्ड नगर योजना एंव विकास अधिनियम 2002 के अधीन गठित मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण जिसका प्रधान कार्यालय देहरादून में है। जिसे एतत्–पश्चात प्राधिकरण कहा गया है जिसका कार्य उसके उपाध्यक्ष के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त प्राधिकरण इसका पदधारक उत्तराधिकारी और अभयर्पिती से है ओर सम्मिलित है; प्रथम पक्ष और श्री हिमांशु कपूर पुत्र श्री मदन मोहन कपूर, निवासी 302 दून रॉयल अर्पाटमेन्ट, सेवलाकला, शिमला, बाईपास, देहरादून। जिसे एतदपश्चात पंजीकृत इच्छुक केता, कहा गया है, और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक केता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है द्वितीय पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि चूंकि उक्त प्राधिकरण भूमि का स्वामी है और उसने शहर/ नगर

सम्पत्ति अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधि.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

भारत

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

ण्ड UTTARAKHAND

A 121593

ट्रान्सपोर्ट नगर योजना तहसील देहरादून जिला देहरादून में ट्रान्सपोर्ट नगर योजना फेस–II नामक मुहल्ले के उच्च आय वर्ग/मध्यम आय वर्ग/अल्प आय वर्ग/समाज के दुर्बल आय वर्ग का मकान/ गोदाम टाइप बी संख्या–07 का निर्माण किया है, और चूंकि उक्त प्राधिकरण ने रूपये– 24,01,875/– रूपये (चौबीस लाख एक हजार आठ सौ पिच्चेहतर रूपये मात्र) जिसका आधा रूपये 12,00,937.50 (रूपये बारह लाख नौ सौ सैन्तीस रूपये पैसा पच्चास मात्र) होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त गोदाम टाइप बी संख्या–07 को, जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलग्न अनुसूची 'क' में उल्लिखित है। (जिसे एतत्पश्चात उक्त भूखण्ड के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूंकि पंजीकृत इच्छुक केता उक्त भूखण्ड को प्राधिकरण से उक्त मूल्य पर इस विलेख में वर्णित निबन्धन और शर्तों के अधीन क्रय करने के लिए सहमत है अतएव अब रूपये–24,01,875/– रूपये (चौबीस लाख एक हजार आठ सौ पिच्चेहतर रूपये मात्र) की धनराशि के प्रतिफलस्वरूप ओर सभी समबद्ध पक्षों के लिए इसमें समाविष्ट निबन्धन और शर्तों के अधीन प्राधिकरण एतद् द्वारा....... ट्रान्सपोर्ट नगर योजना सेवला खुर्द ....में स्थित सम्पूर्ण (भवन और संरचना/ गोदाम टाइप बी संख्या–07 जिसे नीचे दी गयी अनुसूची में और अधिक पूर्णरूप से वर्णित किया गया है, इच्छुक केता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विकय और अन्तरित करती है :–

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हज़ार रुपये

भारत

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTARAKHAND

A 483728

1. प्राधिकरण को उक्त भूखण्ड का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए प्राधिकरण का गठन किया गया था, एतद्–एतद द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।

2. एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त भूखण्ड समस्त भारग्रहस्तता, भार, दावे और मांग से मुक्त है।

3. उक्त भूखण्ड का वास्तविक कब्जा पंजीकृत इच्छुक केता को दिनांक 24.4.2013 परिदत्त किया गया है।

4. पंजीकृत इच्छुक केता उक्त भूखण्ड को प्राधिकरण द्वारा या उक्त प्राधिकरण के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपयोग करेगा।

5. यदि पंजीकृत इच्छुक केता एतदृद्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण भूखण्ड या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भारग्रस्तता, किन्हीं दावों या मांगों के कारण या उक्त प्राधिकरण के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त प्राधिकरण पंजीकृत इच्छुक केता को युक्ति युक्त सीमा तक हानि, क्षति और खर्च की क्षतिपूर्ति करेगा।

6. उक्त भूखण्ड का विक्रय कर दिया गया है और पंजीकृत इच्छुक केता ने इस उक्त प्राधिकरण द्वारा यथा प्रस्तावित भूखण्डों और मकानों के इच्छुक केताओं के पंजीकरण की योजना से सम्बन्धित नियमों और अनुदेशों के अधीन क्रय किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय–समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्वत किए जा रहे है :–

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रुपये

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

A 121804

खण्ड UTTARAKHAND

(क)भूखण्ड का हस्तान्तरण पंजीकृत इच्छुक केता को इसकी वर्तमान दशा में किया गया है और पंजीकृत इच्छुक केता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी।

(ख) पंजीकृत इच्छुक केता द्वारा भूखण्ड का उपयोग केवल निर्दिष्ट कार्यो हेतु किया जाएगा।

7. उक्त भूखण्ड का विकय कर दिया गया है और पंजीकृत इच्छुक केता ने इसे बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ कय किया है कि पंजीकृत इच्छुक केता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा प्राधिकरण से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के अनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा और यह कि पंजीकृत इच्छुक केता उक्त प्राधिकरण की कालोनी में सडकों जल समपर्ति, बिजली सीवर और जल निस्तारण और किन्ही अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रति किसी अंशदान के लिए भी, जैसी और अब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक केता द्वारा प्राधिकरण को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त मकान/ गोदाम टाइप बी संख्या–07 पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी ओर प्राधिकरण उक्त धनराशि को 18 प्रतिशत (अठारह प्रतिशत) प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित पंजीकृत इच्छुक केता से वसूली करने की विधिक रूप से हकदार होगी।

6

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रुपये

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

A 121172

खण्ड UTTARAKHAND

8. पंजीकृत इच्छुक केता उक्त भूखण्ड का उपयोग आवंटित प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा/करेगी और वह विकय किऐ गये मकान/भूखण्ड के सम्बन्ध में प्राधिकरण के सभी अनुदेशों का सर्वथा अनुसरण करेगा/करेगी।

9.इस विलेख के अधीन प्राधिकरण से इच्छुक केता को ऐसी भूमि में जिस पर उक्त गोदाम टाइप बी संख्या-07 स्थित है। यह अनुलग्न भूमि या उसके बगल में स्थित भूमि में किसी प्रकार का कोई हक संकमित नहीं होगा या संकमित नहीं समझा जायेगा।

10. केता द्वारा अपने भूखण्ड में सेप्टिक टैंक, सॉकपिट बनाकर अपने सीवर के डिस्पोजल की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रूपये

रू. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

INDIA

A 121123

ड UTTARAKHAND

1. केता ने आवंटित पत्र एवं उपरोक्त लिखित सभी तथ्यों में दी गयी शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ लिया है जिसे इस दस्तावेज के साथ ही साथ निष्पादित किया जाता है और उसे पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विकय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव आवंटन पत्र में दी गये शर्तो के अधीन होंगे।

जिसके साक्ष्य में श्री.......धनसिहं चौहान...सम्पति लिपिक............ने प्राधिकरण के लिए और उसकी ओर से और हिमांशु कपूर ..आशयिता केता ने स्वयं खरीदार के रूप में स्वेच्छा और सम्मति से किसी प्रभाव या प्रपीडन के बिना साक्षियों की उपरिथति में एतदद्वारा अपने–अपने हस्ताक्षर किये।

सम्पत्ति अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

ल UTTARANCHAL

734842

JG 2013

अनुसूची 'क'

विकय की गई सम्पत्ति की अनुसूचीः ट्रान्सपोर्ट नगर फेस–II

गोदाम टाइप बी संख्या–07
क्षेत्रफल 15X15=225.00 वर्गमीटर

ीमायें: पूर्व .... रोड
श्चिम .... गोदाम टाईप–सी
त्तर .... गोदाम टाईप बी–06
क्षिण .... सर्विस एरिया

विकेता के लिए और उसकी ओर से

प्रभारी अधिकारी
कृते उपाध्यक्ष,
म०दे०वि०प्रा० देहरादून
प्रथम पक्ष

केता के लिए और उसकी ओर से
हस्ताक्षर........................
नाम श्री हिमांशु कपूर
पुत्र श्री मदन मोहन कपूर,
निवासी 302 दून रॉयल अर्पाटमेन्ट,
सेवलाकला, शिमला, बाईपास, देहरादून।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTARAKHAND H 563959

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंटस

प्रथम पक्ष/विक्रेता का नाम एवं पताः- सम्पत्ति अधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रान्सपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून।

प्रथमपक्ष/विक्रेता के हस्ताक्षर

द्वितीयपक्ष/क्रेता का नाम एवं पता :- श्री हिमांशु कपूर पुत्र श्री मदन मोहन कपूर, निवासी 302, दून रॉयल अर्पाटमेन्ट, सेवलाकला, शिमला, बाईपास, देहरादून।

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

द्वितीयपक्ष/क्रेता के हस्ताक्षर

साक्षी सं0 1 RAVI NAGPAL

नाम व पता Late Sh. H. R. NAGPAL

साक्षी सं0 2 Jatinder Bhe

नाम व पता S/o U. L. Bhel

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32–ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंटस

प्रथम पक्ष / विकेता का नाम एवं पताः– मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रान्सपोर्ट नगर सहारनपुर रोड देहरादून।

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

प्रथम पक्ष / विकेता के हस्ताक्षर